रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21042023-245297
CG-MH-E-21042023-245297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
No. 1714] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1796(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के खेडा जिले मे आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इछुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, ठासरा ,प्रांत कार्यालय, ठासरा जिला खेडा को लिखित रुप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप से या कानुनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नही करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धरा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इछुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य : गुजरात

जिला : खेडा

क्रम संख्या.	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
तालुका : ठासरा				
गाँव : जलानगर				
1	295	निजी	कृषि	0-01-14
2	300	निजी	कृषि	0-01-80
तालुका : ठासरा				
गाँव : रखीयाल				
1	478	निजी	कृषि	0-11-67
तालुका : गळतेश्वर				
गाँव : अंगाडी				
1	713	सरकारी जमीन	गौचर	0-02-02
2	932	निजी	कृषि	0-10-74
3	959	सरकारी जमीन	गौचर	0-01-01
4	961	निजी	कृषि	0-03-63
5	1335	निजी	कृषि	0-03-17

[फा. सं. ई आफिस – (E-396500-1)]

के. एल. मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th April, 2023

S.O. 1796(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Anand-Godhra doubling Project in District Kheda in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land ;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Thasra, at Prant office, Thasra District Kheda, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Anand-Godhra doubling Project in the state of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Kheda

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be acquired (in Sqm)
Taluka : Thasra				
Village : Jalanagar				
1	295	Private	Agriculture	0-01-14
2	300	Private	Agriculture	0-01-80
Taluka : Thasra				
Village : Rakhiyal				
1	478	Private	Agriculture	0-11-67
Taluka : Galteshwar				
Village : Angadi				
1	713	Govt. Land	Gouchar	0-02-02
2	932	Private	Agriculture	0-10-74
3	959	Govt. Land	Gouchar	0-01-01
4	961	Private	Agriculture	0-03-63
5	1335	Private	Agriculture	0-03-17

[F. No. E-Office E-396500-1]

K. L. MEENA, Chief Project Manager (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.21 11:41:00 +05'30'